कार्यालय जिलाधिकारी, बुलन्दशहर

पत्रांक /सि0 पें0/कोषा0/2018–2019,
दिनांक 30-10-18

लीड बैंक मेनेजर,
पंजाब नेशनल बैंक, जनपद–बुलन्दशहर ।

विषयः जनपद कोषागार बुलन्दशहर के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के जीवित प्रमाण पत्र कोषागार/उप कोषागार/राष्ट्रीयकृत बैंको के माध्यम से दिया जाना ।

वित्त(लेखा) अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या–सा–9/2015/ए–1–431/दस–2015–10(23)/95 दिनांक 13 मई 2015 के अनुसार दिनाँक 01 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक जीवित प्रमाण पत्र दिये जाने की बाध्यता को समाप्त कर व्यवस्था को सरलीकृत किया गया है ।

पेंशनर यदि सेवानिवृति के 01 वर्ष पश्चात अपना जीवित प्रमाण पत्र किसी कारणवश देने में असमर्थ है,तो वह अपनी सुविधानुसार 01 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व ही अपना जीवित प्रमाण पत्र कोषागार में जमा कर सकता है और ऐसी स्थिति में उन्हें अपना अगला जीवित प्रमाण पत्र जिस माह में दिया जा रहा है,के 01 वर्ष के अन्दर जमा करना होगा । इस व्यवस्था से पेंशनर को किसी निश्चित अवधि में जीवित प्रमाण पत्र जमा करनें की बाध्यता के स्थान पर वर्ष में कभी भी जीवित प्रमाण पत्र दिये जाने की सुविधा प्राप्त हो जायेगी ।

प्रचलन के अनुसार माह नवम्बर एंव दिसम्बर में पेंशनर जीवित प्रमाण पत्र जमा करनें वाले पेंशनरों की संख्या अधिक (90 प्रतिशत से अधिक) होती है । कोषागार द्वारा जनपद के समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाओं को जीवन प्रमाण पत्र फार्म उपलब्ध कराये जा चुके हैं । आवश्यकतानुसार जीवन प्रमाण पत्र का प्रारूप जनपद की वेबसाईट **https://bulandshahar.nic.in/** से डॉउनलोड किया जा सकता है ।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि जनपद की समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाओं को इस सम्बन्ध में निर्देशित कर पेंशनरों के जीवित प्रमाण पत्रों को जमा करनें हेतु विशेष व्यवस्था करायें,जिससे पेंशनरों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो ।

(अनुज कुमार झा)
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर

पत्राँकः 1728 /सि0पें0/कोषा0/पें0दि0/2018–19, दिनाँक उपरोक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– निदेशक,कोषागार उ0प्र0,1018,जवाहर भवन,लखनऊ ।
2– निदेशक,पेंशन निदेशालय उ0प्र0,इन्दिरा भवन,लखनऊ ।
3– अपर निदेशक,कोषागार एंव पेंशन,मेरठ मण्डल मेरठ ।
4– मुख्य कोषाधिकारी,बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि पेंशनरों को जीवित प्रमाण पत्र जमा करानें हेतु कोषागार / उपकोषागारों पर भी समुचित व्यवस्था करायें जिससे पेंशनरों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो ।
5– जिला सूचना एंव विज्ञान अधिकारी,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन0आई0सी0)बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि जीवन प्रमाण पत्र प्रारूप को जनपद बुलन्दशहर की वैबसाईट पर अपलोड करायें।

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर

फार्म संख्या–8 जीवन प्रमाण–पत्र

फोटो

एक पर ✓ का निशान अंकित करें :–

- ☐ सिविल पेंशनर ☐ माध्यमिक शिक्षा पेंशनर ☐ बेसिक शिक्षा पेंशनर
- ☐ उच्च शिक्षा पेंशनर ☐ स्वतंत्रता सेनानी पेंशनर ☐ रक्षा (फौज) पेंशनर
- ☐ विधायक पेंशनर ☐ विद्युत विभाग पेंशनर
- ☐ अन्य राज्य पेंशनर..

1. पेंशनर का नाम..

2. वर्तमान पता..

3. मोबाइल नं०..4. पैन कार्ड नं० ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5. आधार कार्ड संख्या ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

6. कोषागार क्रम संख्या......................................7. पी०पी०ओ० संख्या..............................

8. बैंक का नाम..शाखा..............................

9. बैंक खाता संख्या ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

10. बैंक शाखा आई.एफ.एस. कोड ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

11. आयकर की परिधि में आने पर मैं अपनी आयकर विवरणी साक्ष्य सहित दिनांक 10 फरवरी 2019 तक कोषागार में प्रत्येक दशा में जमा कर दूँगा अन्यथा की स्थिति में मैं स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

12. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अभी तक पुर्नविवाह नहीं किया है। पुर्नविवाह करने पर मैं कोषागार को सूचित करूँगा/करूँगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि भविष्य में एकल खाता/पति/पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य के साथ संयुक्त खाता संचलित नही करूँगा/करूँगी व कोषागार को पूर्व सूचना दिये बिना किसी अन्य बैंक शाखा में स्थानान्तरित नही कराऊँगा/कराऊँगी।

हस्ताक्षर पेंशनर
(कोषागार अभिलेखानुसार)

कार्यालय/बैंक के प्रयोग हेतु

14. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती..
जिनका बैंक खाता संख्या..है, को स्वयं देखा है और ये आज दिनांक......................
को जीवित हैं।

इनका खाता एकल अथवा पति/पत्नी के साथ संयुक्त है।

हस्ताक्षर..

हस्ताक्षर..

अधिकृत अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर
(पदनाम की मोहर अंकित करें)

शाखा प्रबन्धक का नाम..
नमूना हस्ताक्षर संख्या..
(बैंक का नाम व मोहर अंकित करें।)

प्राप्ति स्थान : आजाद ट्रेडिंग कम्पनी, बुलन्दशहर